



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(केंडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : CCU -14 / 2024

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 43 तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियमों /अनुदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित अधीक्षकों, ग्रुप-ब (राजपत्रित), के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिसों को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें उनके नाम के सम्मुख वर्णित तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	वर्तमान तैनाती स्थान (आयुक्तालय)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि
1	दिलीप कुमार अग्रवाल (जन्म तिथि-08.08.1967)	केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जयपुर	31.10.2023	31.01.2024
2	शिव कुमार गुप्ता (जन्म तिथि-12.07.1971)	केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, उदयपुर	10.10.2023	06.02.2024
3	अवतार सिंह लबाना (जन्म तिथि-30.09.1971)	सीमा शुल्क आयुक्तालय जोधपुर (मु. जयपुर)	10.11.2023/ 15.01.2024	10.02.2024
4	विनय अवस्थी (जन्म तिथि-29.11.1969)	केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर	17.11.2023	19.02.2024

Signed by

Chetan Kumar Jain

Date: 23.01.2024 11:14:37

(चेतन कुमार जैन)
प्रधान आयुक्त

दिनांक : .01.2024

फा.स. GCCO/II/3/RTR/5/2020/Part-I

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

- निजी प्रति -
- प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जयपुर/ केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, उदयपुर/ सीमा शुल्क आयुक्तालय जोधपुर (मु. जयपुर) एवं केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमशः दिनांक 03.01.2024/ दिनांक 22.12.2023/ दिनांक 19.12.2023/17.01.2024 एवं दिनांक 19.12.2023 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं

I/1806351/2024

सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात संबंधित अधिकारी को कार्यभार मुक्त कर कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर/जोधपुर/ अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर एवं अपीलस, जोधपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।